संख्या-104/2022/1023/001-22-4-2022-101-B-2000

प्रेषक,

अजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 26 अगस्त, 2022

विषय:- जनपद अमरोहा में जिला कारागार के निर्माण हेतु चयनित भूमि क्रय करने के लिए प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16219/नम-2/74/भाग-1/अमरोहा भूमि क्रय, दिनांक-08.07.2021 एवं पत्र संख्या-21082/नम-2/74/भाग-1/अमरोहा भूमि क्रय, दिनांक-29.06.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अमरोहा के ग्राम-मीरापुर सराय एवं कस्बा अमरोहा बाहर चुंगी में जिला कारागार के निर्माण हेतु कुल चयनित भूमि 24.562 हे0, वृक्षों की धनराशि, बोरिंग/ट्यूबवेल/कोठरी की धनराशि एवं रजिस्ट्री शुल्क आदि की कुल अनुमानित धनराशि रू0 46,03,13,228.00 लाख के सापेक्ष भूमि क्रय के लिए रू0 17,59,46,700/- की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया जनपद अमरोहा के ग्राम-मीरापुर सराय एवं कस्बा अमरोहा बाहर चुंगी में जिला कारागार के निर्माण हेतु कुल चयनित भूमि 24.562 हे0, वृक्षों की धनराशि, बोरिंग/ट्यूबवेल/कोठरी की धनराशि एवं रजिस्ट्री शुल्क आदि की कुल अनुमानित धनराशि रू0 46,03,13,228.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला कारागार के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि से रू0 17,59,46,700/-(रूपया सत्रह करोड़ उन्सठ लाख छियालिस हजार सात सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करती हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) क्रय हेतु प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व महानिरीक्षक, कारागार यह सुनिश्चित हो लेंगे कि जनपद अमरोहा में प्रस्तावित जिला कारागार के निर्माण की आवश्यकता/औचित्य के विषय में समस्त बिन्दुओं पर विचार कर अपेक्षित स्तर पर निर्णय लेते हुये अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

(2) महानिरीक्षक, कारागार मानक के अनुसार भूमि क्रय किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

(3) मात्र बजट व्यवस्था के उद्देश्य से उक्त धनराशि पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(4) समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार धनराशि स्वीकृत किये जाने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी । स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 17,59,46,700 (रुपये सत्रह करोड़ उनसठ लाख छियालीस हजार सात सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000900 नवसृजित जनपदों में कारागार कें निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिये एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12-132-X-2022-23, दिनांक- 02.08.2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

संख्या-104/2022/1023/001-22-4-2022-101-B-2000, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, अमरोहा।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।